



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052026-272429
CG-DL-E-11052026-272429

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2285]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2285]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2376(अ).— केन्द्रीय सरकार तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 6क की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची को राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित की तारीख से निम्नलिखित और संशोधित करती है:-

“अनुसूची

[धारा 6क(4) देखिए]

स्वामित्व की दरें

1. कच्चे तेल और केसिंग शीर्ष द्रवण के उत्पादन के लिए स्वामित्व दरें:

व्यवस्था / नीति	भूमि पर	उथले समुद्र	गहरे समुद्र	अत्यधिक गहरे समुद्र
(i) राष्ट्रीय तेल कंपनियों को नामांकन के आधार पर प्रदान किए गए क्षेत्र (ii) नई खोज अनुज्ञापन नीति से पहले निजी/संयुक्त उद्यम संविदाकारों को प्रदान किए गए खोज ब्लॉक (iii) नई खोज अनुज्ञापन नीति से पहले संयुक्त उद्यम संविदाकारों को प्रदान किए गए भूमि पर खोजे गए क्षेत्रों की संविदा (iv) नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन प्रदान किए गए क्षेत्र	12.5%	10%	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से पहले 7 वर्ष की अवधि के लिए 5%	
			वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान किए गए उत्पादन के लिए 10%	
(v) नई खोज अनुज्ञापन नीति से पहले संयुक्त उद्यम संविदाकारों को प्रदान किए गए खोजे गए अपतट क्षेत्र			- संबंधित उत्पादन-हिस्सेदारी संविदा में यथाविनिर्दिष्ट	
(vi) 'खोजी गई लघु क्षेत्र नीति और हाइड्रोकार्बन खोज अनुज्ञापन नीति' के अधीन प्रदान किए गए क्षेत्र	12.5%	7.5%	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से पहले 7 वर्ष की अवधि के लिए 0%	
			वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 5%	वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 2%

2. प्रशासित मूल तंत्र (एपीएम) क्षेत्र से बिजनेस एज़ यूजवल (बीएयू) परिदृश्य से अधिक होने वाले गैस के अतिरिक्त उत्पादन के सिवाय प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए स्वामित्व दरें:

व्यवस्था / नीति	भूमि पर	उथले समुद्र	गहरे समुद्र	अत्यधिक गहरे समुद्र
(i) राष्ट्रीय तेल कंपनियों को नामांकन के आधार पर प्रदान किए गए क्षेत्र (ii) नई खोज अनुज्ञापन नीति से पहले प्राइवेट/संयुक्त उद्यम संविदाकारों को प्रदान किए गए खोज ब्लॉक (iii) नई खोज अनुज्ञापन नीति से पहले संयुक्त उद्यम संविदाकारों को प्रदान किए गए खोजे गए भूमि पर और अपतट क्षेत्रों की संविदा (iv) कोल बेड मीथेन (सीबीएम) नीति के अधीन प्रदान किए गए क्षेत्र			10%	
(v) नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन प्रदान किए गए क्षेत्र	10%	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से पहले 7 वर्ष की अवधि के लिए 5%		
		वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 10%		
(vi) 'खोजी गई लघु क्षेत्र नीति और हाइड्रोकार्बन खोज अनुज्ञापन नीति' के अधीन प्रदान की गई संविदाएं	10%	7.5%	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से पहले 7 वर्षों की अवधि के लिए 0%	
			वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 5%	वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 2%

टिप्पण 1.- राजपत्र की अधिसूचना संख्याक ओ-12015(11)/1/2019-ओएनजी-II तारीख 28.02.2019 के अनुसार, प्रशासित मूल तंत्र (एपीएम) क्षेत्रों से 'बिजनेस एज़ यूजवल' (बीएयू) परिदृश्य से अधिक होने वाले गैस के अतिरिक्त उत्पादन

जिसका मूल्यांकन किसी तीसरे पक्ष विशेषज्ञ अभिकरण द्वारा किया गया हो और जिसे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया हो, विद्यमान लागू दरों की स्वामित्व दरों में दस प्रतिशत की कमी के लिए पात्र होगा।

3. तारीख 11 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात आमंत्रित बोलियों के आधार पर हाइड्रोकार्बन खोज और अनुज्ञापन नीति (एचईएलपी) के अधीन प्रदान की गई संविदाओं से वाणिज्यिक उत्पादन के लिए रियायती स्वामित्व दरें:

जहां तारीख 11 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद आमंत्रित बोलियों के अनुसार एचईएलपी के अधीन प्रदान किए गए संविदा क्षेत्रों से भूमि पर ब्लॉकों या उथले समुद्री अपतट ब्लॉकों के लिए चार वर्ष, गहरे समुद्री अपतट ब्लॉकों अथवा अत्यधिक-गहरे समुद्री अपतट ब्लॉकों के लिए पाँच वर्ष की अवधि के भीतर प्रारंभ किए गए वाणिज्यिक उत्पादन के लिए निम्नलिखित स्वामित्व दरें लागू होंगी:

खनिज तेल	ब्लॉक का प्रकार	प्रवर्ग-I बेसिन	प्रवर्ग-II बेसिन	प्रवर्ग-III बेसिन		
कच्चा तेल/ केसिंग शीर्ष द्रवण	भूमि पर ब्लॉक	11.25%	10%	8.75%		
	उथले समुद्री अपतट ब्लॉक	6.75%	6%	5.25%		
	गहरे समुद्री अपतट ब्लॉक	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से पहले 7 वर्ष की अवधि के लिए 0%				
		वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 4.5%	वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 4%	वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 3.5%		
	अत्यधिक-गहरे समुद्री अपतट ब्लॉक	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से पहले 7 वर्ष की अवधि में 0%				
		वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 1.8%	वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 1.6%	वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 1.4%		
	प्राकृतिक गैस	भूमि पर ब्लॉक	9%	8%	7%	
		उथले समुद्री अपतट ब्लॉक	6.75%	6%	5.25%	
		गहरे समुद्री अपतट ब्लॉक	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से पहले 7 वर्ष की अवधि में 0%			
			वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 4.5%	वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 4%	वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 3.5%	
अत्यधिक-गहरे समुद्री अपतट ब्लॉक		वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से पहले 7 वर्ष की अवधि में 0%				
		वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी	वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी	वाणिज्यिक उत्पादन के 8वें वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से और उसके बाद तथा साथ ही किसी भी अन्य		

	अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 1.8%	अन्य अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 1.6%	अवधि के दौरान हुए उत्पादन के लिए 1.4%
--	--	--	---------------------------------------

4. कच्चे तेल, द्रवण और प्राकृतिक गैस के लिए रियायती स्वामित्व दरों के प्रयोजनों के लिए भारत की तलछटी बेसिनों का प्रवर्गीकरण निम्नानुसार होगा:

प्रवर्ग-I	प्रवर्ग-II	प्रवर्ग-III
1. कृष्णा-गोदावरी बेसिन	1. सौराष्ट्र बेसिन	1. केरल-कोंकण बेसिन
2. मुंबई अपतट बेसिन	2. कच्छ बेसिन	2. बंगाल-पूर्णिमा बेसिन
3. असम शेल्फ बेसिन	3. विंध्य बेसिन	3. गंगा-पंजाब बेसिन
4. राजस्थान बेसिन	4. महानदी बेसिन	4. प्राणहिता-गोदावरी बेसिन
5. कावेरी बेसिन	5. अंदमान-निकोबार बेसिन	5. सतपुड़ा-दक्षिण रीवा-दामोदर बेसिन
6. असम-अराकान फोल्ड बेल्ट		6. हिमालयन फोरलैंड
7. कामबे बेसिन		7. छत्तीसगढ़ बेसिन
		8. नर्मदा बेसिन
		9. स्पीति-जंकार बेसिन
		10. दक्कन सिनक्लाइज बेसिन
		11. कडप्पा बेसिन
		12. करेवा बेसिन
		13. भीम-कलदगी बेसिन
		14. बस्तर बेसिन

5. सभी मामलों में कच्चे तेल, केसिंग शीर्ष द्रवण और प्राकृतिक गैस के "वेल हेड प्राइस" पर स्वामित्व पूर्वोक्ति उल्लिखित दरों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदत्त किया जाएगा:

- (1) पोस्ट वेल कॉस्ट मूल्य पर, नामांकन व्यवस्था की दशा में विक्रय मूल्य के 20% और नामांकन व्यवस्था से भिन्न अन्य किसी व्यवस्था की दशा में विक्रय मूल्य के 15% को नियत मूल्य-आधारित कटौती को अनुज्ञात करते हुए, "वेल हेड प्राइस" नियत किया जाएगा।
- (2) सभी व्यवस्थाओं के अधीन स्वामित्व की गणना पूर्व-स्वामित्व के आधार पर की जाएगी।

[फा. सं. Expl-11023(1)2020-EXPL-I-PNG (E-33879)]

विनोद शेषन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: तेलक्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 की अनुसूची 1969 के अधिनियम 39 द्वारा अंतःस्थापित की गई थी और तत्पश्चात् सा. का. नि. 814 (अ) तारीख 16.12.2004, सा. का. नि. 559(अ), तारीख 20.08.2007, सा. का. 615(अ) तारीख 28.08.2009, सा. का. 173(अ) तारीख 15.01.2016, सा. का. 367 (अ), तारीख 14.01.2019, सा. का.1597 (अ), तारीख 11.04.2019, सा. का.4382(अ) तारीख 20.10.2021 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2376(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6A of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Schedule to the said Act, with effect from the date of Publication of the notification in the Official Gazette.

2. In the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“THE SCHEDULE*[See section 6A(4)]***RATES OF ROYALTY****1. Royalty Rates for production of Crude Oil and Casing Head Condensate:**

Regime / Policy	Onland	Shallow Water	Deep Water	Ultra-Deep Water
(i) Areas awarded on nomination basis to National Oil Companies (ii) Exploration Blocks awarded to Private/Joint Venture Contractors prior to New Exploration Licensing Policy (iii) Onland Discovered Fields Contracts awarded to Joint Venture Contractors prior to New Exploration Licensing Policy (iv) Areas awarded under New Exploration Licensing Policy	12.5%	10%	5% for the period of first 7 years from the date of commencement of commercial production	
			10% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	
(v) Offshore Discovered Fields awarded to Joint Venture Contractors prior to New Exploration Licensing Policy	As specified in the respective Production Sharing Contract			
(vi) Areas awarded under Discovered Small Feld Policy and Hydrocarbon Exploration Licensing Policy	12.5%	7.5%	0% for the period of first 7 years from the date of commencement of commercial production	
			5% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	2% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period

2. Royalty Rates for production of Natural Gas except on additional production of gas from Administered Price Mechanism (APM) Fields over and above Business as Usual (BAU) scenario:

Regime / Policy	Onland	Shallow Water	Deep Water	Ultra-Deep Water
(i) Areas awarded on nomination basis to National Oil Companies (ii) Exploration Blocks awarded to Private/Joint Venture Contractors prior to New Exploration Licensing Policy (iii) Onland and Offshore Discovered Fields Contracts awarded to Joint Venture Contractors prior to New Exploration Licensing Policy (iv) Areas awarded under Coal Bed Methane (CBM) Policy			10%	
(v) Areas awarded under New Exploration Licensing Policy	10%	5% for the period of first 7 years from the date of commencement of commercial production		
		10% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period		
(vi) Contracts awarded under Discovered Small Field Policy and Hydrocarbon Exploration Licensing Policy	10%	7.5%	0% for the period of first 7 years from the date of commencement of commercial production	
			5% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	2% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period

Note 1- As per Gazette Notification No. O-12015(11)/1/2019-ONG-II dated 28.02.2019, the additional production of gas from Administered Price Mechanism (APM) Fields over and above Business as Usual (BAU) scenario which has been evaluated by third party expert agency and approved by Directorate General of Hydrocarbons shall be eligible for reduction in rates of royalty by ten per cent of the existing applicable rates.

3. **Concessional Royalty Rates for commercial production from those contracts awarded under Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP) basis the bids invited on or after 11th April, 2019:** Where commercial production commences from contract areas awarded under HELP pursuant to bids invited on or after 11th April, 2019, within a period of four years for Onland Blocks or Shallow Water Offshore Blocks, and five years for Deep Water Offshore Blocks or Ultra-Deep Water Offshore Blocks, the following royalty rates shall apply:

Mineral Oil	Type of Block	Category-I Basin	Category-II Basin	Category-III Basin	
Crude Oil/ Casing Head Condensate	Onland Blocks	11.25%	10%	8.75%	
	Shallow water offshore Blocks	6.75%	6%	5.25%	
	Deep water offshore Blocks	0% for the period of first 7 years from the date of commencement of commercial production			
		4.5% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	4% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	3.5% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	
	Ultra-deep water offshore Blocks	0% for the period of first 7 years from the date of commencement of commercial production			
		1.8% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	1.6% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	1.4% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	
Natural Gas	Onland Blocks	9%	8%	7%	
	Shallow water offshore Blocks	6.75%	6%	5.25%	
	Deep water offshore Blocks	0% for the period of first 7 years from the date of commencement of commercial production			
		4.5% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	4% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	3.5% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	
	Ultra-deep water offshore Blocks	0% for the period of first 7 years from the date of commencement of commercial production			
		1.8% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	1.6% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	1.4% from the date of commencement of the 8 th year of commercial production and onwards as well as for production during any other period	

4. For the purposes of the concessional rates of royalty for crude oil, condensates and natural gas, the categorisation of sedimentary basins of India shall be as under:

Category-I	Category-II	Category-III
1. Krishna-Godavari Basin	1. Suarashtra Basin	1. Kerala-Konkan Basin
2. Mumbai Offshore basin	2. Kutch Basin	2. Bengal-Purnea Basin
3. Assam Shelf Basin	3. Vindhyan Basin	3. Ganga-Punjab Basin
4. Rajasthan Basin	4. Mahanadi Basin	4. Pranhita-Godavari Basin
5. Cauvery Basin	5. Andaman-Nicobar Basin	5. Satpura-South Rewa-Damodar Basin
6. Assam-Arakan Fold Belt		6. Himalayan Foreland
7. Cambay Basin		7. Chhattisgarh Basin
		8. Narmada Basin

		9. Spiti-Zankar Basin
		10. Deccan Syneclise Basin
		11. Cuddapah Basin
		12. Karewa Basin
		13. Bhima-Kaladgi Basin
		14. Bastar Basin

5. Royalty shall be paid at the aforementioned rates on the “Well Head Price” of crude oil, casing head condensate and natural gas in all cases, subject to the following conditions:

- (1) “Well Head Price” shall be arrived at by allowing a fixed ad-valorem deduction of 20% of the sale price in case of nomination regime and 15% of the sale price in case of other than nomination regime, towards post well head costs.
- (2) Royalty shall be computed on ex-royalty basis under all regimes”.

[F. No. Expl-11023(1)2020-EXPL-I-PNG (E-33879)]

VINOD SESHAN, Jt. Secy.

Note: The Schedule of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 was inserted by Act 39 of 1969 and subsequently amended vide GSR 814 (E), dated 16.12.2004, GSR. 559(E), dated 20.08.2007, S.O. 615(E), dated 28.08.2009, S.O. 173(E), dated 15.01.2016, S.O. 367 (E), dated 14.01.2019, S.O. 1597 (E), dated 11.04.2019, S.O. 4382(E), dated 20.10.2021